पंचम अध्याय : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2020–21 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के अंर्तगत कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित सरकारी कम्पनियाँ और संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल हैं।

यह अध्याय राज्य सरकार की कम्पनियों और निगमों के वित्तीय प्रदर्शन जैसा कि उनके लेखों से पता चलता है, की संक्षिप्त स्थिति देता है। इस प्रतिवेदन में सीएजी द्वारा सरकारी कम्पनियों और निगमों के वर्ष 2020–21 (या पिछले वर्षों के जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा/एकमात्र लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों[1] को शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कम्पनियों/निगमों की परिभाषा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केंद्र सरकार, या किसी एक राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो, और इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है।

एक सांविधिक निगम की स्थापना संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित एक कानून के अंतर्गत की जाती है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अंतर्गत निर्मित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करते हैं और जिस तरीके से लेखों की लेखा परीक्षा की जानी है, उस पर निर्देश देते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रुप में या विधियों के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा करने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है।

[1] 1 जनवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 तक अंतिमीकृत/जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

31 मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में 30 पीएसयूज (29 सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम[2]) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें से कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

राज्य के 30 पीएसयूज में से 28 पीएसयूज (27 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) कार्यरत और दो[3] पीएसयूज निष्क्रिय थे। इन 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितंबर 2021 को दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तीन पीएसयूज जिनके लेखें तीन या अधिक वर्षों से बकाया (दो पीएसयूज[4]) या प्रथम लेखें जमा नहीं किए (एक पीएसयू[5]) थे, को इस प्रतिवेदन में विस्तृत विश्लेषण के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है (***परिशिष्ट 5.1***)।

पीएसयूज के टर्नओवर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर इन 25 पीएसयूज को छह क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इन 25 पीएसयूज का टर्नओवर (₹39,964.32 करोड़) वर्ष 2020–21 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी (₹3,50,270 करोड़) का 11.41 प्रतिशत था। 2020–21 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की हिस्सेदारी 57 प्रतिशत से अधिक है (**तालिका 5.1**)।

तालिका 5.1: वर्ष 2020–21 के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार टर्नओवर के साथ–साथ पीएसयूज के टर्नओवर की हिस्सेदारी

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में)	टर्नओवर का जीएसडीपी में हिस्सा
1	ऊर्जा और शक्ति	6	23,153.77	6.61
2	अधोसंरचना	5	25.42	0.01
3	वित्त	1	2.77	0.01
4	कृषि, खाद्य और संबद्ध उद्योग	2	545.01	0.16
5	सेवाएं	9	16,215.65	4.63
6	अन्य	2	21.70	0.01
	योग	**25**	**39,964.32**	**11.41**

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना

5.5 सरकारी कम्पनियों और निगमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 30 कम्पनियों (29 सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं। 30 सितंबर 2021 को पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की स्थिति **तालिका 5.2** में प्रस्तुत की गई है।

[2] छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी)।
[3] छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड।
[4] छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
[5] छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड।

तालिका 5.2: पीएसयूज द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

पीएसयूज का प्रकार	पीएसयूज की कुल संख्या	30 सितंबर 2021 की स्थिति में पीएसयूज द्वारा लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति				पीएसयूज की संख्या जिनके लेखें बकाया थे (बकाया लेखों की संख्या)
		2020–21[6] के लेखें	2019–20 के लेखें	2018–19 के लेखें	योग	
सरकारी कम्पनियाँ	27	6	12	9	27	21 (36)
सांविधिक निगम	1	–	–	1	1	1 (2)
कुल कार्यरत पीएसयूज	**28**	**6**	**12**	**10**	**28**	**22 (38)**
निष्क्रिय पीएसयूज	2	1	–	1	2	1 (2)
योग	**30**	**7**	**12**	**11**	**30**	**23 (40)**

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखें

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 25 पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत किए गए लेखों के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन का सारांश **तालिका 5.3** में प्रस्तुत है।

तालिका 5.3: पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

पीएसयूज के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	
राज्य के पीएसयूज की कुल संख्या	30
इस प्रतिवेदन में शामिल पीएसयूज की संख्या	25
प्रदत्त पूँजी (25 पीएसयूज)	₹6,907.41 करोड़
दीर्घावधि ऋण (25 पीएसयूज)	₹13,283.01 करोड़
शुद्ध लाभ (15 पीएसयूज)	₹697.56 करोड़
शुद्ध हानि (7 पीएसयूज)	₹978.50 करोड़
शून्य लाभ/हानि (तीन पीएसयूज)	–
घोषित लाभांश (दो पीएसयूज)	₹3.84 करोड़
निवल मूल्य (25 पीएसयूज)	₹2,400.05 करोड़

स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 इक्विटी होल्डिंग एवं ऋण

31 मार्च 2021 को समाप्त तीन साल की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश **तालिका 5.4** में दिया गया है।

तालिका 5.4: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2019 तक			31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक		
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग
राज्य सरकार	6,672.52	889.62	7,562.14	6,672.52	707.14	7,379.66	6,672.52	724.83	7,397.35
केन्द्र सरकार	25.42	0	25.42	25.42	286.53	311.95	25.42	292.78	318.20
अन्य	315.76	12,716.13	13,031.89	315.76	11,795.90	12,111.66	315.76	12,847.58	13,163.34
योग	**7,013.70**	**13,605.75**	**20,619.45**	**7,013.70**	**12,789.57**	**19,803.27**	**7,013.70**	**13,865.19**	**20,878.89**

[6] कोविड–19 महामारी के कारण आरओसी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक सामान्य सभा के आयोजन की नियत तिथि को सामान्य नियत तिथि (अर्थात 30 सितंबर 2021) से दो महीने (अर्थात 30 नवंबर 2021 तक) बढ़ा दिया गया था।

कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में)	95.14	6.54	36.67	95.14	5.53	37.26	95.14	5.23	35.43

स्रोतः 30 सितंबर 2021 तक प्राप्त अद्यतन वित्तीय विवरणों और पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना से संकलित

वर्ष 2019–21 में इन पीएसयूज में कुल निवेश में 1.26 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। 31 मार्च 2021 की स्थिति में, राज्य के 30 पीएसयूज के कुल निवेश में अंश पूँजी 33.59 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 66.41 प्रतिशत था। राज्य के 30 पीएसयूज में दीर्घावधि ऋणों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ₹1,017.61 करोड़ और अन्य स्रोतों से जुटाए गए ₹12,847.58 करोड़ शामिल थे (***परिशिष्ट 5.2***)। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान ₹778.30 करोड़ के कुल निवेश (पूँजी, ऋण और सब्सिडी/अनुदान) में से, ऊर्जा क्षेत्र की हिस्सेदारी 78.12 प्रतिशत (₹607.98 करोड़) थी।

5.6.2 सम्पत्तियों की पर्याप्तता

सॉल्वेंट माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों के योग से अधिक अवश्य होना चाहिए। 31 मार्च 2021 की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रम इस मानदंड को पूरा नहीं करते हैं **(तालिका 5.5)**।

तालिका 5.5: कुल संपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण का कवरेज

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज का प्रकार	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत	पीएसयूज की संख्या	दीर्घावधि ऋण	कुल संपत्तियाँ	संपत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कम्पनियाँ	3	1,703.36	3,090.58	181.44	7	11,862.14	7,593.19	64.01
सांविधिक निगम	1	67.98	656.62	965.90	–	–	–	–

स्रोतः पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.6.3 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान पर सूचना

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को ऋण, अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार पीएसयूज द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करती है जिसके लिए वह आधा प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन लेती है। विवरण **तालिका 5.6** में है।

तालिका 5.6: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[7]	2018-19		2019-20		2020-21	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
(i) ऋण	2	82.71	2	51.89	1	62
(ii) अनुदान/सब्सिडी	10	6,190.20	11	9,546.26	9	8,445.74

[7] राशि राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

बहिर्गमन का योग (i+ii)	**12**	**6,272.91**	**13**	**9,598.15**	**10**	**8,507.74**
बकाया गारंटी	4	2,398.25	4	3,764.41	2	3,426.34
गारंटी प्रतिबद्धता	4	6,753.59	4	6,752.59	3	6,682.28

स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई सूचना

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पीएसयूज द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता 2018–19 में ₹6,272.91 करोड़ से बढ़कर 2020–21 की अवधि के दौरान ₹8,507.74 करोड़ हो गई। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को खनिज अन्वेषण कार्य के लिए ऋण (₹62 करोड़) के रुप में बजटीय सहायता दी गई थी। सब्सिडी/अनुदान का प्रमुख हिस्सा (₹4,752.85 करोड़) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन यथा एकल बल्ब कनेक्शन, कृषि पंप को बिजली की मुफ्त आपूर्ति, मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना, कृषि पंप को ऊर्जान्वित करना इत्यादि एवं राजस्व सब्सिडी के लिए तथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹3,417.77 करोड़) को जनता को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दिया गया था ।

5.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 14 पीएसयूज जिन्होनें 2018–19 में ₹991.41 करोड़ का लाभ अर्जित किया था, की तुलना में 15 पीएसयूज द्वारा 2020–21 में अर्जित लाभ ₹697.56 करोड़ रुपये था। लाभ में कमी का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड की हानि में वृद्वि ₹42.27 करोड़ (2018–19) से ₹972.64 करोड़ (2020–21) होना था। 2020–21 में लाभ अर्जित करने वाले चार शीर्ष पीएसयूज को **तालिका 5.7** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.7: पीएसयूज जिन्होंने अधिकतम लाभ का योगदान दिया

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	**अर्जित शुद्ध लाभ (₹करोड़ में)**
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	402.68
छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम	138.69
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	78.13
छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	30.26
योग	**649.76**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ कमाने वाले पीएसयूज को कर पश्चात लाभ/प्रदत्त पूँजी के न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता हो।

19 पीएसयूज जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी का निवेश किया गया था, का लाभांश भुगतान **तालिका 5.8** में दिखाया गया है:

तालिका 5.8: पीएसयूज के लाभांश भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार का पूँजी निवेश है		पीएसयूज जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		पीएसयूज जिन्होने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित /भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूँजी निवेश	पीएसयूज की संख्या	लाभ	पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/5*100)
2018–19	19	6,670.87	13	991.25	2	3.14	0.38
2019–20	19	6,670.87	13	950.52	2	3.84	0.48
2020–21	19	6,670.87	14	697.51	2	3.84	0.72

इन 19 पीएसयूज में से 14 पीएसयूज ने कुल ₹697.51 करोड़ का लाभ अर्जित किया। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹3.03 करोड़ एवं ₹0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा/भुगतान किया।

5.8 ऋण का भुगतान

5.8.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज के व्ययों से विभाजित करके की जाती है। एक से नीचे का अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयूज जिनमें 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, के ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका 5.9: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आईसीआर

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या जिनमें ब्याज का भार था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से कम था
2018–19	1,451.82	2,486.19	10	6	2
2019–20	1,480.67	1,024.85	12	5	3
2020–21	1,490.98	1,303.82	12	6	2

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

यह देखा गया कि ब्याज भार वाले 12 पीएसयूज में से एक पीएसयू (छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) का आईसीआर 2018–19 से 2020–21 की अवधि के दौरान एक से कम था। एक से कम आईसीआर वाले पीएसयूज की संख्या में छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार की गारंटी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से दीर्घकालिक ऋण प्राप्त हुआ।

इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षक उन सरकारी कम्पनी के वार्षिक लेखों पर प्रतिवेदन देते है, जो

कुछ उपलब्ध है, यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम 2019–20 के दौरान अपने ऋणों का भुगतान करने में विफल रहा।

5.9 सरकारी कम्पनियों की परिचालन क्षमता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्रतिवेदित लाभ का विश्लेषण)

31 मार्च 2021 की स्थिति में, लाभ कमाने वाले 15 पीएसयूज ने कुल ₹697.56 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 2020–21 के दौरान लाभ कमाने वाले प्रमुख पीएसयूज, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹402.68 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (₹138.69 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹78.13 करोड़) थे, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹972.64 करोड़) दर्ज की।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 15 लाभ कमाने वाले उपक्रमों में से, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों ने केवल अपने परिचालन[8] से लाभ अर्जित किया और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक कम्पनी की नियोजित पूँजी के साथ उसकी लाभप्रदता तथा दक्षता को मापता है। इसकी गणना कम्पनी की ब्याज और करों से पहले की आय को नियोजित पूँजी[9] से विभाजित करके की जाती है।

तालिका 5.10: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

पीएसयूज की प्रकृति	वर्ष	पीएसयूज की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
	1	2	3	4	5 = 3/4*100
लाभार्जन करने वाले	2018–19	14	2,233.28	15,720.66	14.21
	2019–20	14	2,138.93	15,473.92	13.82
	2020–21	15	1,931.44	16,115.05	11.99
हानि वहन करने वाले	2018–19	8	316.31	–385.52	–82.05
	2019–20	8	–539.41	–649.71	83.02
	2020–21	7	–569.71	–988.77	57.62
शून्य लाभ/हानि वाले	2018–19	3	0	1,151.98	0.00
	2019–20	3	0	200.93	0.00
	2020–21	3	0	200.93	0.00
कुल	**2018–19**	**25**	**2,549.59**	**16,487.12**	**15.46**
	2019–20	**25**	**1,599.52**	**15,025.14**	**10.65**
	2020–21	**25**	**1,361.73**	**15,327.21**	**8.88**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2019–21 की अवधि के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 15.46 प्रतिशत से 8.88 प्रतिशत तक गिरावट की ओर है **(तालिका 5.10)**।

[8] परिचालन गतिविधियों से लाभ= टर्नओवर –कुल व्यय।

[9] नियोजित पूंजी= प्रदत्त अंशपूंजी + दीर्घावधि ऋण + संचित लाभ/–संचित हानियां। आंकड़े पीएसयूज के अद्यतन वर्ष जिनके लेखों को अंतिमीकृत किया गया है, के अनुसार है।

5.9.3 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2021 की स्थिति में ऐतिहासिक लागत के आधार पर 25 पीएसयूज में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 20,540.89 करोड़ था। ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2018–19 से 2020–21 की अवधि के लिए क्षेत्रवार आरओआई **तालिका 5.11** में दी गई है।

तालिका 5.11: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	केंद्र सरकार द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	अन्य द्वारा पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश की गई निधि	पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/ हानि	आर ओ आर आर (प्रतिशत में)
सरकारी कम्पनियाँ						
2018–19	7,421.47	25.42	12,693.52	20,140.41	788.12	3.9
2019–20	7,263.70	311.95	11,773.29	19,348.94	–165.78	–0.9
2020–21	7,325.70	318.20	12,824.97	20,468.87	–422.34	–2.1
सांविधिक निगम						
2018–19	139.02	0.00	2.02	141.04	138.69	98.3
2019–20	114.31	0.00	2.02	116.33	138.69	119.2
2020–21	70.00	0.00	2.02	72.02	138.69	192.6
महायोग						
2018–19	**7,560.49**	**25.42**	**12,695.54**	**20,281.45**	**926.81**	**4.6**
2019–20	**7,378.01**	**311.95**	**11,775.31**	**19,465.27**	**–27.09**	**–0.1**
2020–21	**7,395.70**	**318.20**	**12,826.99**	**20,540.89**	**–283.65**	**–1.4**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान, निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सरकारी कम्पनियों का प्रतिफल –2.1 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत के मध्य था, जबकि निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर सांविधिक निगम का प्रतिफल 98.3 प्रतिशत से 192.6 प्रतिशत के मध्य था।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के अधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की प्रर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए भी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई।

इन पीएसयूज में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना निम्न धारणाओं के आधार पर की गई है।

- राज्य सरकार के निवेश की गणना 31 मार्च 2021 की स्थिति में की गई है जहॉ धनराशि को पूँजी, डिफॉल्टेड दीर्घावधि ऋण एवं परिचालन/प्रबंधन व्यय के रुप में निवेशित किया है।

- दीर्घावधि ऋण जिन पर पीएसयूज द्वारा ब्याज के भुगतान में चूक हुई, को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है। इन पीएसयूज द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, पीवी की गणना अवधि के दौरान ऋणों के कम हुए शेष पर की गई है।

- पूँजीगत अनुदान को छोड़कर, अनुदान/सब्सिडी के रुप में प्रदान की गई धनराशि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वो निवेश के रुप में माने जाने योग्य नहीं है।

- सम्बन्धित वर्ष[10] के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य की छूट की दर के रुप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किये गये कोषों पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रुप में माना जाता है।

इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों से संबंधित इसी अवधि के लिए राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति **तालिका 5.12** में दर्शाई गई है।

तालिका 5.12: राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की वर्षवार स्थिति

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी	शुद्ध ब्याज मुक्त ऋण/ बकाया ऋण	वर्ष के दौरान रुपांतारित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी एवं स्थापना अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	शासकीय ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए कोष की लागत वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय	कुल निवेश पर प्रतिफल का प्रतिशत
क	ख	ग	घ	च	छ	ज=(ग+घ -च+ छ)	झ=ख+ज	ट	ठ=झ* (1 + ट/100)	ड=झ* ट /100	ढ	त=ढ*100/झ
2016–17 तक		6649.27	268.64	20.11	2253.92	9151.72	13635.69	**6.62**	14538.38			
2017–18	14538.38	21.6	84.23	0	1353.68	1459.51	15997.89	6.38	17018.55	1020.66	1124.26	7.03
2018–19	17018.55	0	81.86	0	269.88	351.74	17370.29	6.1	18429.89	1059.58	928.65	5.35
2019–20	18429.89	0	–57.77	0	271.8	214.03	18643.92	6.83	19917.29	1273.38	–25.07	–0.13
2020–21	19917.29	**0**	**0**	0	**331.89**	**331.89**	**20249.18**	6.57	**21579.56**	1330.37	–280.83	–1.39
योग		**6670.87**	**376.96**	**20.11**	**4481.17**	**11508.89**						

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

वर्ष 2020–21 के अंत में राज्य सरकार का 19 पीएसयूज में कुल निवेश ₹11,508.89 करोड़ था जिसमें पूँजी (₹6,670.87 करोड़), बकाया दीर्घावधि ऋण (₹356.85 करोड़, पूँजी में परिवर्तित ₹20.11 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण को छोड़कर) एवं पूँजीगत अनुदान/सब्सिडी (₹4,481.17 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2021 की स्थिति में राज्य सरकार के निवेशों के पीवी की गणना ₹21,579.56 करोड़ की गई। 2017–18 से प्रतिफल कम हो रहे है एवं 2019–20 तथा 2020–21 के दौरान ऋणात्मक हो गये।

5.10 हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

5.10.1 वहन की गयी हानियॉ

मार्च 2021 के अंत में सात पीएसयूज ऐसे थे जिन्होंने उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानियॉ वहन की। इन पीएसयूज द्वारा वहन की गई हानियॉ 2018–19 में ₹62.70 करोड़ से बढ़कर इनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹978.50 करोड़ हो गयी जैसा कि नीचे **तालिका 5.13** में दिया गया है।

[10] सम्बन्धित वर्ष की सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दरों को राज्य वित्त पर भारत के सीएजी के प्रतिवेदन से अपनाया गया है जिसमें चुकाये गये ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान/{(पूर्व वर्ष के वित्तीय दायित्व की राशि + वर्तमान वर्ष के वित्तीय दायित्व)/2} X 100

तालिका 5.13: 2018–19 से 2020–21 के दौरान हानियाँ वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि में चल रहे राज्य पीएसयूज की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य
सरकारी कम्पनियाँ				
2018–19	8	–62.70	–6,338.60	–3,668.41
2019–20	8	–980.19	–7,259.71	–4,915.14
2020–21	7	–978.50	–7,259.77	–4,915.20
सांविधिक निगम				
2018–19	–	–	–	–
2019–20	–	–	–	–
2020–21	–	–	–	–
कुल				
2018–19	**8**	**–62.70**	**–6,338.60**	**–3,668.41**
2019–20	**8**	**–980.19**	**–7,259.71**	**–4,915.14**
2020–21	**7**	**–978.50**	**–7,259.77**	**–4915.2**

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

2020–21 में, सात पीएसयूज द्वारा वहन की गयी कुल हानि ₹978.50 करोड़ में से, ₹972.64 करोड़ की हानि का योगदान एक ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू[11] द्वारा किया गया था।

5.10.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी का क्षरण

निवल मूल्य का आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा आधिक्य के कुल योग में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने से होता है। वास्तव में यह स्वामियों के लिए उपक्रम के मूल्य की माप है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि अंशधारकों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

पूँजी (प्रदत्त पूँजी एवं डिफॉल्टेड ऋण) ₹7,263.26 करोड़ के विरुद्ध, 25 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित हानि ₹4,872.05 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2021 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹2,391.21 करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹972.64 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹7,290.33 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।

25 पीएसयूज में से तीन[12] पीएसयूज के निवल मूल्य का संचित हानियों द्वारा पूर्णतया क्षरण हो गया था एवं उनका निवल मूल्य या तो शून्य या ऋणात्मक था। इन तीन पीएसयूज, जिनकी पूँजी का क्षरण (शून्य या ऋणात्मक निवल मूल्य) हो गया था, में से दो[13] पीएसयूज ने 2020–21 के दौरान ₹5.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

5.11 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

5.11.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा

[11] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

[12] छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड।

[13] छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड।

नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कम्पनी की अन्य सूचनाओं के साथ उसके वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत करता है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित कर सकता है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेट द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यदि आवश्यक समझे तो धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंर्तगत आने वाली किसी भी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकते है तथा ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रुप से केंद्र सरकार तथा आंशिक रुप से एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्य वाली सरकारी कम्पनी या अन्य किसी कम्पनी की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनियाँ अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी के पंजीयन की तिथि से 60 दिन के भीतर नियुक्त किया जाना है तथा यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते है तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के निदेशक मंडल या कम्पनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।

वर्ष 2020–21 के लिए सभी पीएसयूज के सांविधिक लेखापरीक्षकों (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अलावा) की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अगस्त 2020 के दौरान की गई।

5.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाता है एवं इस तरह की तैयारी की बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं सीएजी द्वारा बनायी गयी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणियों के साथ राज्य विधानसभा के

समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिए भी उनके संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान है। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश किये गए सार्वजनिक कोष के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

5.12.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखें तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेडंर वर्ष में एक बार अंशधारकों की वार्षिक सामान्य सभा करनी होती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से अगली वार्षिक सामान्य सभा की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। धारा में आगे प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य सभा के प्रथम बार होने के मामले में उसे कम्पनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष की अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, कम्पनियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 30 सितम्बर 2021[14] तक वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की आवश्यकता थी।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 अनुबंधित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त वार्षिक सामान्य सभा में उनके विचार के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में प्रावधान है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की गैर अनुपालना हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों पर जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल है, कारावास एवं दंड जैसी शास्ति लगाई जाए।

31 मार्च 2021 की स्थिति में नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 29 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम थे। इनमें से 30 नवंबर 2021 तक या उसके पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु केवल 7 सरकारी कम्पनियों द्वारा उनके लेखें प्रस्तुत किए गए। सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के बकाया लेखों का विवरण **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.14: बकाया लेखों का विवरण

विवरण		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
		सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
बकाया लेखों की संख्या		38	2	40
बकाया सीमावधि		4 वर्षों तक	2 वर्ष	–
बकाया विवरण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	–	–	–
	(ii) निष्क्रिय	2	–	2
	(iii) प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं	4	–	4
	(iv) अन्य	32	2	34

स्रोतः पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

5.13 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों की निगरानी लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.13.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा

कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारुप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित हैं। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं 250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य

[14] कोविड– 19 महामारी के कारण आरओसी, कारर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा वार्षिक सामान्य सभा के आयोजन की नियत तिथि को सामान्य नियत तिथि (30 सितम्बर 2021 तक) से दो माह (30 नवंबर 2021 तक) बढ़ा दिया गया था।

वाली कम्पनियों द्वारा भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कम्पनियों की मूल, सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम को भी भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त द्वारा शामिल नहीं की गई कम्पनियाँ लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेगी। 29 सरकारी कम्पनियों में से, आठ कम्पनियाँ भारतीय लेखा मानकों का पालन करती हैं जबकि शेष लेखा मानकों के अनुसार अपने लेखे तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बताए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.13.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य संबंधित अधिनियम के अतंर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग रुपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मुख्य दायित्व ईकाई के प्रबंधन का है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीटयूट ऑफ चार्टेड अकाटटेंट ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षा प्रथाओं तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरुप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किया गया कि तीन पीएसयूज[15] द्वारा अनिवार्य लेखा मानकों (एएस)/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा करते है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर यदि कोई उल्लेखनीय लेखापरीक्षा टिप्पणी हो तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत उन्हें वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणाम

5.14.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेंत्र के उपक्रमों के लेखों की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (जनवरी 2020 से सितंबर 2021) के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 19 वित्तीय विवरण प्राप्त हुए जिनमें से 14 विगत वर्षों से संबंधित थे। वित्तीय विवरणों की प्राप्ति, समीक्षा की गई तथा जारी टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 5.15** में दी गई है।

तालिका 5.15: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरणों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–21			विगत वर्ष		
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
प्राप्त	7	–	7	14	–	14
समीक्षा नहीं की गई	1	–	1	1	–	1
समीक्षा की गई	–	–	–	8	–	8
लेखापरीक्षा प्रगति पर*	5	–	5	5	–	5

[15] छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

शून्य टिप्पणियां जारी	1	–	1	3	0	3
टिप्पणियां जारी	–	–	–	5	–	5

**30 सितम्बर 2021 की स्थिति में*

समीक्षाधीन अवधि में पाँच पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन के पूरक के रुप में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (2018–19)	वित्तीय लागत में 2 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए केनरा बैंक से प्राप्त ऋण पर अदेय उपार्जित ब्याज के लिए ₹6.05 करोड़ शामिल नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय लागत, अल्पकालिक प्रावधान और हानि को ₹6.05 करोड़ से कम बताया गया।
2.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018–19)	अन्य व्ययों में वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न औषधि गोदामों से भेजी गई एक्सपायरी दवाओं के निपटान के दायित्व के रुप में ₹58.60 लाख शामिल नहीं थे। प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरुप वर्तमान देयताओं (अल्पकालिक प्रावधान), अन्य व्यय–एक्सपायरी दवा का निपटान और तदनुरुपी लाभ को ₹58.60 लाख से अधिक दर्शाया गया।
3.	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड (2019–20)	वर्तमान देनदारियों में 31 मार्च 2020 तक विभिन्न पक्षों को देय राशि ₹1.26 करोड़ शामिल नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरुप अल्पकालिक प्रावधानों को कम और लाभ को ₹1.26 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2018–19)	अन्य आय में सौभाग्य, आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई की योजना निधि के लिए राज्य सरकार के अंशदान की सावधि जमा से प्राप्त ₹6.32 करोड़ का ब्याज शामिल है। इसके परिणामस्वरुप अन्य आय को ₹6.32 करोड़ से अधिक और वर्तमान देनदारियों एवं हानि को उसी सीमा तक कम दर्शाया गया।

वित्तीय–स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र. सं	कम्पनी	टिप्पणी
1.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2017–18)	चालू दायित्व के स्थान पर अन्य चालू दायित्वों में छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदान ₹2.63 करोड़ की राशि शामिल है जिसके परिणामस्वरुप चालू दायित्व को अधिक और गैर–चालू दायित्व को ₹2.63 करोड़ से कम दर्शाया गया।
2.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड़ (2018–19)	दीर्घकालिक देयताओं (सरकार से निधि) में दरों में अंतर के कारण दवाओं के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से वसूली योग्य राशि ₹76.47 लाख शामिल नहीं थी जिसके परिणामस्वरुप दीर्घकालिक देयताएं (सरकार से निधि) और अन्य चालू सम्पतियाँ–दवाओं के भुगतान पर वसूली प्रत्येक को ₹76.47 लाख से कम दर्शाया गया।
3.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2019–20)	पूँजीगत कार्य–प्रगति के रुप में शामिल करने के बजाय, गैर चालू परिसंपत्तियों में कम्पनी के कर्मचारियों के लिए आवसीय भवन के निर्माण के लिए दिए गए ₹2 करोड़ का अग्रिम शामिल है, जिसके परिणामस्वरुप पूंजीगत कार्य प्रगति को कम और अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों को ₹2 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।

4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	प्लांट, मशीनरी और उपकरणों (सितंबर 2013 में पूँजीकृत) के लिए वसूली गई परिसमापन क्षति की राशि होने के कारण ₹15.66 करोड़ के तदनूरुपी मूल्यहास के साथ गैर–चालू परिसंपत्तियो में ₹45 करोड़ की कमी पायी गई। इसको अन्य आय के रुप में मान्यता नहीं देने के परिणामस्वरुप सकल ब्लॉक (संपत्ति) और अन्य आय को ₹45 करोड़, मूल्यह्रास को ₹15.56 करोड़ और लाभ को ₹29.41 करोड से कम दर्शाया गया।
5.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (2019–20)	गैर –चालू परिसंपत्तियों में 29 पूँजी गत कार्य जिनकी राशि ₹32.47 करोड़ है, शामिल हैं जो कि 2019–20 तक पूर्ण किए गए थे, हालांकि इसे पूँजीकृत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरुप पूँजीगत कार्य प्रगति को ₹32.47 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को ₹19.79 करोड़ से कम, मूल्यहास को ₹12.68 करोड़ से कम और लाभ को उसी सीमा तक अधिक दर्शाया गया।

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

चार[16] पीएसयूज के स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुपालन में सीएजी के सभी उप–निर्देशों पर प्रतिवेदन करने में विफल रहे।

5.15 लेखामानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना

उक्त अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखांकन मानकों को निर्धारित किया। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखा मानकों को अधिसूचित किया। तीन भारतीय लेखा मानक अर्थात् भारतीय लेखा मानक 11, 17 और 18 को भारतीय लेखा मानक 115 और 116 की अधिसूचना के बाद वापस ले लिया गया है।

जनवरी 2020 और सितंबर 2021 के मध्य किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जो उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किए गए थे।

लेखा मानक/ भारतीय लेखा मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
इंड एएस 110– समेकित वित्तीय विवरण	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए थे, हालांकि कम्पनी अपनी सहायक कम्पनी इफको छत्तीसगढ़ पावर कम्पनी लिमिटेड (अब उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड) और सीएसपीजीसीएल एईएल परसा कोलियरीज लिमिटेड की मूल कम्पनी थी।
एएस 12– शासन अनुदान	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	कम्पनी ने वित्तीय विवरण में अपने नोट्स में सरकारी अनुदान के लिए किसी भी लेखांकन नीति का खुलासा नहीं किया।

5.16 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन के लिए उतरदायी लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर संचार स्थापित करना है।

[16] छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (2019–20), छत्तीसगढ़ सड़क एवं अद्योसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2018–19), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (2018–19) एवं उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (2018–19)

पीएसयूज के वित्तीय विवरणों पर प्रमुख टिप्पणियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन या प्रतिवेदन प्रक्रिया में पायी गई अनियमितताओं या कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी सूचित किया गया था।

1 जनवरी 2020 से 30 सितंबर 2021 की अवधि के दौरान तीन[17] सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधन पत्र जारी किए गए। आम तौर पर संबंधित कमियां निम्न थीः

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं;
- प्रबंधन की ओर से आंतरिक नियंत्रण की कमी; तथा
- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2021 तक, एक सांविधिक निगम सहित 30 सार्वजनिक उपक्रम थे। 30 में से दो निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रम हैं। 28 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम), जिनके लेखे 30 सितंबर 2021 को दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे, वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।

2020–21 के दौरान, इन 25 सार्वजनिक उपक्रमों ने ₹39,964.32 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया, जो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 11.41 प्रतिशत के बराबर था। अकेले ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का योगदान 2020–21 के दौरान पीएसयूज के कुल टर्नओवर के 57 प्रतिशत से अधिक है।

31 मार्च 2021 के अंत में राज्य सरकार का 30 पीएसयूज में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण में निवेश ₹20,878.89 करोड़ के कुल निवेश के विरुद्ध ₹7,397.35 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों के बकाया दीर्घकालिक ऋण पिछले वर्ष (2019–20) के दौरान ₹12,789.57 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2021 तक ₹13,865.19 करोड़ हो गये।

25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 14 पीएसयूज के 2018–19 में ₹991.45 करोड़ का अर्जित लाभ की तुलना में 15 पीएसयूज का 2020–21 में अर्जित लाभ ₹697.56 करोड़ था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹402.68 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (₹138.69 करोड़) ने लाभ में मुख्य योगदान दिया था। सात पीएसयूज को हुई कुल ₹978.50 करोड़ की हानि में से मुख्य हानि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹972.64 करोड़) की थी।

30 पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज (22 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम) के लेखे वर्ष 2020–21 के लिए विभिन्न कारणों से बकाया थे। पीएसयूज, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे थे। परिणामस्वरूप, 23 पीएसयूज के 40 लेखे बकाया थे।

[17] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड

5.18 अनुशंसाएं

(i) छत्तीसगढ़ सरकार हानि में चल रहे सभी पीएसयूज के कार्यकलापों की समीक्षा कर सकती है और उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

(ii) सरकार प्रशासनिक विभागों को अलग–अलग पीएसयूज के लिए समय पर लेखे प्रस्तुत करने और बकाया का निस्तारण की सख्ती से निगरानी करने और लेखों का यथाशीघ्र अंतिमीकरण करते हुए बकाया को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

(iii) सरकार निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों की समीक्षा कर सकती है और उनके पुनरुद्धार/समापन पर उचित निर्णय ले सकती है।

(दिनेश आर. पाटील)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांक 25 अप्रैल 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 अप्रैल 2022